न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 522 / 2023

अनवान : –

1. विमला पत्नी किशनलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. मोहरसिंह पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. रामस्वरूप पुत्र परमेश्वरी जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. दारासिंह पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. जगदीश पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
6. जसवन्त पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
7. कृष्ण कुमार पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
8. पीरदान पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर तहसील नोहर।

–असल प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 ,राजस्थान
काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
2. पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 11/02/2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 17 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 50 / 49 की कुल 7.5900 हैक्ट भूमि वादी संख्या 1, 2, 7, 8 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही मौजा चक 17 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 111 / 111 की कुल तादादी 7.5900 हैक्ट भूमि वादी स0 7 के एवं खाता स0 35 / 35 की कुल 6.0720 भूमि वादी स0 5 के एवं खाता स0 48 / 48 की कुल 5.9840 हैक्ट भूमि वादी संख्या 4 के एवं खाता स0 42 / 42 की कुल 6.0720 हैक्ट भूमि वादी स0 6 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा चक 17 एनटीआर तहसील नोहर के प0न0 356 / 428 मु0न0 48 के किला न0 20, 21 व प0न0 356 / 429 मु0न0 39 के किला न0 1, 10, 11, 20, 21 एवं प0न0 356 / 430 मु0न0 42 के किला न0 1, 10, 11, [illegible] प0न0 356 / 431 मु0न0 53 के किला न0 1, 10, 11, 20, 21 के उक्त किला में [illegible] 0 खाला दर्ज है लेकिन मौका पर अब कोई खाला नही है ना ही खाला की आवश्यकता है क्योंकि सिंचित [illegible] क्षेत्र [illegible] विकास विभाग

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.25 18:56:56 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा संशोधित स्वीकृत चक स्कीम में अन्य जगह पर नया खाला स्वीकृत किया गया है इसलिए पुराने खाला की आवश्यकता नही है लेकिन राजस्व रिकार्ड में प0न0 356/428 मु0न0 28 के किला न0 20, 21 व प0न0 356/429 मु0न0 39 के किला न0 1, 10, 11, 20, 21 एवं मु0न0 42 के किला न0 1, 10, 11, 20, 21 एव मु0न0 53 के किला न0 1, 10, 11, 20, 21 में गै0मु0 खाला की भूमि अपने नाम मुमकिन दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को कई मर्तबा कहा की वादग्रस्त भूमि में दर्ज गै0मु0 खाला को मुमकिन दर्ज कर देवे तो कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इंकार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादी स0 1 पेरोकार राज ने की ओर से जवाब पेश किया गया जो शामिल मिसल किया। प्रतिवादी स0 2 अधिशांषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर से रिपोर्ट प्राप्त की गई।

अधिवक्ता वादी द्वारा वाद के समर्थना में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदीया पेश की जो की शामिल मिसल की गई। साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि रोही मौजा चक 17 एनटीआर तहसील नोहर के प0न0 356/428 मु0न0 48 के किला न0 20, 21 व प0न0 356/429 मु0न0 39 के किला न0 1, 10, 11, 20, 21 एवं प0न0 356/430 मु0न0 42 के किला न0 1, 10, 11, 20, 21 व प0न0 356/431 मु0न0 53 के किला न0 1, 10, 11, 20, 21 के उक्त किलो में 2–2 बिस्वा भूमि गै0मु0 खाला दर्ज है लेकिन मौका पर अब कोई खाला नही है ना ही खाला की आवश्यकता है क्योंकि सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा संशोधित स्वीकृत चक स्कीम में अन्य जगह पर नया खाला स्वीकृत किया गया है इसलिए पुराने खाला की आवश्यकता नही है लेकिन राजस्व रिकार्ड में प0न0 356/428 मु0न0 28 के किला न0 20, 21 व प0न0 356/429 मु0न0 39 के किला न0 1, 10, 11, 20, 21 एवं मु0न0 42 के किला न0 1, 10, 11, 20, 21 एव मु0न0 53 के किला न0 1, 10, 11, 20, 21 में गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकिन दर्ज किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों यथा नवीनतम जमाबंदी, पुरानी जमाबंदी, रिपोर्ट अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा, मौका रिपोर्ट तहसीलदार आदि का अवलोकन किया गया। वादी में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 17 एनटीआर तहसील नोहर के प0न0 356/428 मु0न0 48 के किला न0 20, 21 व प0न0 356/429 मु0न0 39 के किला न0 1, 10, 11, 20, 21 एवं प0न0 356/430 मु0न0 42 के किला न0 1, 10, 11, 20, 21 व प0न0 356/431 मु0न0 53 के किला न0 1, 10, 11, 20, 21 के उक्त किलो में 2–2 बिस्वा भूमि गै0मु0 खाला दर्ज है, उक्त को वादीगण ने निरस्त करवाने के लिए वाद पेश किया है। हमारे द्वारा जल संसाधन विभाग नोहर से खाला के संबंध में रिपोर्ट हेतु पत्र लिखा जाकर रिपोर्ट ली गई। अधिशाषी अभियता एवं तहसीलदार द्वारा मौका

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.25 18:56:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रिपोर्ट के मुताबिक उक्त खाले वर्तमान में निर्मित नही है तथा नही चालु है और वर्तमान में उक्त किला न0 में खालो का कोई उपयोग नही है। स्वीकृत चक स्कीम के अनुसार किसी भी प्रकार का खाला नही होना स्वीकार किया गया है। इसलिए उक्त गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकिन किया जाना उचित है। तहसीलदार (राजस्व) नोहर से भी मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार (राजस्व) नोहर के पत्रांक 144 दिनांक 17.02.2023 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित कर अवगत करवाया गया कि वर्तमान में मौके पर गै0मु0 खाला की भूमि पर किसी प्रकार का कोई कच्चा/पक्का खाला नही है। मौके पर भूमि खाली है, कोई निर्माण नही है। गै0मु0 खाला अथवा रास्ता के बदलाव/निरस्तीकरण हेतु राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्ते 1955 की शर्त संख्या 8(1) व 8(2) में वर्णित प्रावधानों व प्रदत्त शक्तियों तथा न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2011(1) स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम राजपाल पेज न0 167, आरआरडी 1987 पेज न0 279 एवं आरआरडी 1998 पेज न0 699 के अनुसार जब कभी भी किसी कारणवंश पूर्व में निर्मित रास्ता एवं खाले को निरस्त किया जाता है तो वह रास्ता एवं खाले की भूमि उसी काश्तकार के खाते में प्रत्याहित हो जावेंगी जिसके खाते में यह कम की गई थी।

उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी साक्ष्य सबूतों, पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जल संसाधन विभाग नोहर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार (राजस्व) नोहर की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादीगण साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा एवं तहसीदार (राजस्व) नोहर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 17 एनटीआर तहसील नोहर के मु0न0 28 के किला न0 20, 21 व मु0न0 39 के किला न0 10, 11, 20, 21 एवं मु0न0 42 के किला न0 1. 10, 11, 20, 21 व मु0न0 53 के किला न0 10, 11, 20, 21 में 2–2 बिस्वा गै0मु0 खाला की भूमि को नाम मुमकिन दर्ज कर वादीगण के मुताबिक जमाबंदी में से 2–2 बिस्वा खातेदारी दर्ज के अंकन की घोषणा की जाती ह। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरस्त किया जावें। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हों। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11/02/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.25 18:56:56 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 522/2023

अनवान : –

1. विमला पत्नी किशनलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. मोहरसिंह पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. रामस्वरूप पुत्र परमेश्वरी जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. दारासिंह पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. जगदीश पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
6. जसवन्त पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
7. कृष्ण कुमार पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
8. पीरदान पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर तहसील नोहर।

–असल प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 522 सन 2023 निर्णय दिनांक 11/02/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं तहसीलदार नोहर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 17 एनटीआर तहसील नोहर के मु0न0 28 के किला न0 20, 21 व मु0न0 39 के किला न0 10, 11, 20, 21 एवं मु0न0 42 के किला न0 1, 10, 11, 20, 21 व मु0न0 53 के किला न0 10, 11, 20, 21 में 2–2 बिस्वा गै0मु0 खाला की भूमि को नाम मुमकिन दर्ज कर वादीगण के मुताबिक जमाबंदी में से 2–2 बिस्वा खातेदारी दर्ज के अंकन की घोषणा की जाती ह। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरस्त किया जावें। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हों। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/02/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.25 18:56:56 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर